न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा (जिला–शाहपुरा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 409 / 2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2022 / 527

1– किशनलाल पुत्र मोतीलाल ब्राह्मण निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– रामचन्द्र पुत्र मोतीलाल ब्राह्मण निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– लक्ष्मण पुत्र मोतीलाल ब्राह्मण निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1– मूला पिता लादु माली निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– महेन्द्र पिता लादु गुर्जर निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– शिव पिता सोहन शर्मा निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– रामा पिता नगजीराम माली निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5– राधेश्याम पिता बंशी शर्मा निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6– रामनिवास पिता देबी ब्राह्मण निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
7– नारायण पिता नाथू गुर्जर निवासी सरेरी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 14/10/2022

उपस्थित :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेश वर्मा : विपक्षीगण सं0 3

::– निर्णय –::

दिनांक : **13/10/2025**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि **ग्राम मुण्डेता प0ह0 भोजपुर भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.5700 है0, 1741 रकबा 0.7800 है0 कुल किता 2 रकबा 1.35 है0** कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार की स्थित है। **उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण दिनांक 25.07.2022 को अपनी आराजियात पर गये तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया।** इस कारण प्रार्थीगण के वाद हेतु तारीख 25/07/2022 से पैदा होकर जारी है। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः **ग्राम मुण्डेता प0ह0 भोजपुर भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 2 रकबा 1.35 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु** न्यायहित में आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 **1, 2, 4, 5, 6** बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण **सं0 7** के विरूद्ध अभिभाषक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। विपक्षीगण संख्या 03 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाग्रस्त आराजियात के संबंध में न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश होने से यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

आज दिनांक **13/10/2025** को बहस अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गई एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, **जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 ग्राम मुण्डेता प0ह0 भोजपुर भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा** के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला–भीलवाड़ा (राज.)

वादग्रस्त आराजी **खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.5700 है0, 1741 रकबा 0.7800 है0 कुल किता 2 रकबा 1.35 है0** के अभिलिखित संयुक्त खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। **विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है।** अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** करते हुए **ग्राम मुण्डेता प0ह0 भोजपुर भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा** में स्थित प्रार्थीगण की उक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजियात में से **आराजी नम्बर 1738 रकबा 0.57 है0** किस्म **बीड** पर न्यायालय से स्थगन आदेश होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष **खसरा नम्बर 1741 रकबा 0.7800 है0** किता **1** रकबा **0.78 हैक्टेयर** का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझती हूं।

—::आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 भलिभाति साबित होने एवं सारवान होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार आराजी **ग्राम मुण्डेता प0ह0 भोजपुर भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 1741 रकबा 0.7800 है0** किता **1** रकबा **0.78 हैक्टेयर** एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए सीमांकन करे तथा प्रार्थीगण की आराजी का प्रार्थीगण के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए/वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक **13/10/2025** को सरे इजलास सुनाया गया

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :— तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा